राजस्व आदेश पत्र अनुवृत्ति–पत्र 35/अ-19(1)20-21

1	2	3
01 (12/2021)	1–प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केवलारी से प्राप्त । 2–प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिवनी के द्वारा नस्ती दिनांक 26/2/2020 न्यायालय में नस्ती प्रस्तुत कर लेख किया है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना घंसौर केदारपुर मुख्य मार्ग उमरडीह से बखारी माल ग्रेवल एवं पुल–पुलिया मार्ग हेतु स्वीकृति प्राप्त होने के करण घंसौर केदारपुर मुख्य मार्ग से चरगांव सड़क एवं पुलिया निर्माण हेतु 2.59 हे0 वन भूमि प्रभावित होने से मुख्य वनसंरक्षक सिवनी वृत्त को आनलाईन आवेदन प्रेषित कर दिया गया है कार्यालय वनमंडल अधिकारी उत्तर सिवनी वनमंडल द्वारा पत्र दिनांक 20/2/2020 में निर्देशित किया गया है कि प्रभावित हो रही 2.59 हे0 वन भूमि के बदले में समतुल्य गैर वन भूमि उन्हे उपलब्ध कराया जावे ताकि उनके आवेदन पर कार्यवाही की जा सकें । कार्यपालन यंत्री द्वारा रकबा 2.59 हे0 वन भूमि के समतुल्य ग्राम खरसारू की शासकीय भूमि खसरा नंबर 1/2 मे से रकबा 2.59 हे0 भूमि वन विभाग को आबंटित किये जाने का निवेदन किया गया । 3– कि कार्यपालन यंत्री कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिवनी के द्वारा नस्ती दिनांक 26/2/2020 द्वारा मांग की गई भूमि के संबंध में प्रकरण जांच एवं प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केवलारी को प्रेषित किया गया । 4– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केवलारी द्वारा तहसीलदार केवलारी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 28/09/19 में लेख किया है कि वर्तमान राजस्व अभिलेख अनुसार ग्राम खरसारू ह0न0 20 रा0नि0मं0 केवलारी तहसील केवलारी स्थित शासकीय भूमि ख0न0 1/3 रकबा 5.04 हे0 भूमि घास एवं निस्तार में दर्ज है । प्रश्नाधीन भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है । घंसौर केदारपुर मुख्य मार्ग से चरगांव सड़क एवं पुलिया निर्माण हेतु 2.59 हे0 वन भूमि प्रभावित होने म0प्र0शासन का लोकोपयोगी उपक्रम के तहत प्रभावित रकबा 2.59 हे0 वन विभाग को हस्तान्तरित करने में कोई बाधा न होने का उल्लेख किया है । यह भी लेख किया है कि प्रश्नाधीन गैर वन भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु विधिवत आपत्तियों के आमंत्रण हेतु इश्तहार का प्रकाशन करवाया जाकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति न होने का उल्लेख किया है । 5– कार्यपालन यंत्री कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिवनी ने अपने पत्र में मुख्य रूप से लेख किया है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना घंसौर केदारपुर मुख्य मार्ग उमरडीह से बखारी माल ग्रेवल एवं पुल–पुलिया मार्ग हेतु स्वीकृति प्राप्त होने के करण घंसौर केदारपुर मुख्य मार्ग से चरगांव सड़क एवं पुलिया निर्माण हेतु 2.59 हे0 वन भूमि प्रभावित होने से मुख्य वनसंरक्षक सिवनी वृत्त को आनलाईन आवेदन प्रेषित कर दिया गया है कार्यालय वनमंडल अधिकारी उत्तर सिवनी वनमंडल द्वारा पत्र दिनांक 20/2/2020 में निर्देशित किया गया है कि प्रभावित हो रही 2.59 हे0 वन भूमि के बदले में समतुल्य गैर वन भूमि उन्हे उपलब्ध कराया जावे ताकि उनके आवेदन पर कार्यवाही की जा सकें । 5–अनुविभागीय अधिकारी केवलारी एवं तहसीलदार केवलारी के जांच प्रतिवेदन दिनांक 06/01/2021 में की गई अनुशंसा कार्यपालन यंत्री कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिवनी के पत्र कमांक 24/2/2020 एवं कार्यालय वनमंडल अधिकारी उत्तर सिवनी वन मंडल सिवनी के पत्र कमांक 410 दिनांक 20/02/2020 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना घंसौर केदारपुर मुख्य मार्ग उमरडीह से बखारी माल ग्रेवल एवं पुल–पुलिया मार्ग निर्माण में प्रभावित हो रही 2.59 हे0 वन भूमि के बदले में समतुल्य गैर वन भूमि उन्हे उपलब्ध कराने हेतु लेख किया है । अतः वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं अनुविभागीय अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर ग्राम खरसारू ह0न0 20 रा0नि0मं0 केवलारी तहसील केवलारी स्थित शासकीय भूमि ख0न0 1/2 रकबा 5.04 हे0 मे से रकबा 32.59 हे0 मेसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना घंसौर केदारपुर मुख्य मार्ग उमरडीह से बखारी माल ग्रेवल एव पुल–पुलिया मार्ग निर्माण में प्रभावित हो रही 2.59 हे0 शासकीय गैर वन भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश किये जाते है । आदेशानुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी केवलारी के माध्यम से तहसीलदार केवलारी वापस भेजा जाता है । राजस्व अभिलेख को अद्यतन कर संशोधित अभिलेख प्रकरण के साथ सलग्न कर प्रकरण इस न्यायालय को वापस किया जावे । कलेक्टर सिवनी अनुविभागीय अधिकारी केवलारी प्रतिलिपि:– कार्यपालन यंत्री कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिवनी को सूचनार्थ ।	

कार्यालय कलेक्टर सिवनी

Auditor 12/1/21

75
12 JAN 2021